

मध्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ-1-9/2017/38-1/1892/sec2/17
प्रति,

भोपाल, दिनांक 9.8.17

प्राचार्य,
समस्त शासकीय महाविद्यालय,
मध्यप्रदेश।


विषय: शैक्षणिक सत्र 2017-18 एवं आगामी सत्रों के लिए शासकीय महाविद्यालयों में अतिथि विद्वानों की व्यवस्था बाबत।

संदर्भ: क्रमांक एफ-1-9/2017/38-1/1849/शा.2/2017 दिनांक 03.08.2017

—00—

इस कार्यालय के संदर्भित पत्र दिनांक 03.08.2017 के द्वारा शैक्षणिक सत्र 2017-18 एवं आगामी सत्रों के लिए शासकीय महाविद्यालयों में अतिथि विद्वानों की व्यवस्था बाबत जारी दिशा-निर्देश एतद् द्वारा निरस्त करते हुए विज्ञापन की कंडिका 7 के अनुसार उच्च शिक्षा विभाग का परिपत्र क्रमांक 969/एफ-1-9/2016/38-1/ भोपाल दिनांक 08.08.2016 के दिशा निर्देश यथावत सत्र 2017-18 के लिए मान्य रहेंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(नीरज मंडलोई)

वि.क.अ.सहआयुक्त

म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग

भोपाल, दिनांक 9.8.17

पृ. क्रमांक एफ-1-9/2017/38-1/1893/sec2/17
प्रतिलिपि:

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी/निज सहायक, मा.राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा, म.प्र. भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
4. आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल।
5. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश।
6. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
7. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश।
8. समस्त अध्यक्ष, जनभागीदारी समिति, मध्यप्रदेश।
9. उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, शाखा-2/वि.क.अ./शाखा-3/सी.सी. सेल, मंत्रालय, भोपाल।
10. उपसचिव, मध्यक्षेत्रीय कार्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विट्टन मार्केट, भोपाल।
11. समस्त अधिकारी, कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश।
12. समस्त कोषालय एवं उप कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
13. कम्प्यूटर सेल, उच्च शिक्षा संचालनालय, भोपाल की ओर वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ।



वि.क.अ.सहआयुक्त

म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग